

Boundary Wall in Centre of Road in Violation of Delhi Master Plan

142. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9897 on the 7th May, 1979 regarding construction of boundary wall on Malviya Nagar Road, Delhi and state;

(a) whether such boundary walls in any other colony in New Delhi area under the D.D.A. exist just in the middle of the road in violation of Delhi Master Plan and other rules and regulations prescribed for the development of the colony;

(b) if so, the names of such colonies; and

(c) if not, why the demolition of unauthorised boundary wall is being delayed on the pressure of Central Provident Fund Commissioner?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) No such case has come to notice of the Delhi Development Authority.

(b) Does not arise.

(c) Delhi Development Authority has informed that there has been no delay and that due process of law is being observed.

Housing Schemes in Maharashtra for Central Government Employees

143. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether the Central Government give House-building advance to its employees;

(b) if so, on what terms and conditions;

(c) whether the Central Government Employees Housing Co-ordination Committee (Bombay) have drawn the attention of Government to the difficulties faced in getting their scheme passed through the State Government; and

(d) whether the Central Government propose to Co-ordinate the plans of Central Government employees to the State Government in getting allocation of land and utilisation of House-Building Advances?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR): (a) Yes, Sir.

(b) House building advance is granted to Central Government employees who are permanent or have put in 10 years of service. The maximum amount of advance admissible is Rs. 70,000 or 75 months' pay of the applicant or the cost of construction or the repaying capacity, whichever is the least. The ceiling cost of the house/flat to be constructed/purchased is Rs. 50,000 or 75 months pay subject to whose 75 months pay does not exceed Rs. 50,000 or 75 months pay subject to a limit of Rs. 1.25 lakhs for others.

(c) No, Sir.

(d) At present there is no such proposal under consideration of the Government. The acquisition of land or its sale is a state subject. Any decision taken in the matter vests with the State Government.

हिन्दी पत्रिकाओं के संपादकीय सलाहकार बोर्ड

144. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा निकाली गई 'कृषक' 'खेती' 'भागीरथ' आदि हिन्दी पत्रिकाओं के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के नाम और अहिंताएं क्या हैं।

(ख) इस बोर्ड की गत किन-किन तारीखों को बैठक हुई ;

(ग) क्या 'भागीरथ' सम्पादकीय बोर्ड की बैठक गत वर्ष हुई बैठक के बाद नहीं हुई और क्या हिन्दी प्रेस से किसी व्यक्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय की सब हिन्दी पत्रिकाओं के सम्पादकीय सलाहकार बोर्डों की जिसमें 'भागीरथ' भी शामिल है, बैठक शीघ्र बुलाने और उसमें हिन्दी पत्रकारों को प्रतिनिधित्व देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजभाषा (हिन्दी) में काम करने के लिए स्वीकृति पद

145. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में काम करने के लिए श्रेणीवार कितने पद स्वीकृत किए गए हैं; और पिछले तीन वर्षों से ऐसे पदों पर कितनी तदर्थ नियुक्तियां चल रही हैं;

(ख) ऐसी तदर्थ नियुक्तियां किस प्रकार की गई थीं और साक्षात्कार समिति के चेयरमैन मदस्यों तथा विशेषज्ञों के नाम और उन की अहंताएं क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दी पदों पर अधिकांश ऐसी नियुक्तियां नियमित नहीं थीं और यह अनेक वर्षों से तदर्थ आधार पर अनियंत्रित रूप से की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पदों पर अनियमित रूप से और तदर्थ आधार पर की गई नियुक्तियों के स्थान पर अहंता प्राप्त व्यक्तियों की नियमित रूप से नियुक्तियां करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और यह काम कब तक कर लिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

146. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित की गई मूल पुस्तकों तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों के नाम क्या हैं तथा इन पुस्तकों के लेखकों तथा अनुवादकों के नाम क्या हैं;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तकों के और उन के लेखकों एवं अनुवादकों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या इस न्यास ने बड़ी संख्या में अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं तथा हिन्दी और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं को उपेक्षा तरजीह दी है, और कुछ विशिष्ट लेखकों तथा अनुवादकों को ही तरजीह दी है; और

(घ) इस भेदभाव को समाप्त करने तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लेखकों तथा अनुवादकों को नई तालिका बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) विवरण I के रूप में विवरण संलग्न है जिस में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित मूल तथा अनुदित पुस्तकों के नाम तथा उन के लेखकों और अनुवादकों के नाम भी दिये गये हैं । [प्रश्नालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-4586/79]

(ख) दूसरा विवरण अनुबन्ध II के रूप में संलग्न है [प्रश्नालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी-4586/79] । जिस में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा 1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों, उन के लेखकों और अनुवादकों के नाम दिए गए हैं ।

(ग) जी नहीं, न्यास ने मार्च, 1979 तक कुल 1883 पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिन में से केवल 300 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और बाकी 1583 हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हैं । अनुबन्ध I तथा II से यह स्पष्ट है कि किसी भी लेखक और अनुवादक को संरक्षणता नहीं दी गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं सठता ।